रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25062021-227897
CG-DL-E-25062021-227897

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 349] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 25, 2021/आषाढ़ 4, 1943
No. 349] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 25, 2021/ASHADHA 4, 1943

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2021

सा.का.नि. 437(अ).— केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67), की धारा 9ख की उपधारा (5) और उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खान और खनिज (जिला खनिज संस्थान में अभिदाय) नियम, 2015 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खान और खनिज (जिला खनिज संस्थान में अभिदाय) संशोधन नियम, 2021 है।

(2) ये 28 मार्च, 2021 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. खान और खनिज (जिला खनिज संस्थान में अभिदाय) नियम, 2015 (इसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है) में, नियम 2 में,—

(i) "पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा" शब्दों के स्थान पर, दोनों जगहों पर जहां वे आते हैं, "समेकित अनुज्ञप्ति" शब्दों को रखा जाएगा;

(ii) खंड (क) में, अंकों, अक्षरों और शब्द "12 जनवरी, 2015 को अथवा उसके पश्चात प्रदान किया गया, यथास्थिति," के पश्चात "उन खनिज रियायतों से भिन्न जो धारा 10क की उप-धारा (2) के उपबंधों के अधीन शामिल हैं" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर को अंत:स्थापित किया जाएगा;

(iii) खंड (ख) में, अंकों, अक्षरों और शब्द "12 जनवरी, 2015 से पहले प्रदान किए गए" के पश्चात "और वे खनन पट्टे जो धारा 10क की उप-धारा (2) के उपबंधों के अधीन शामिल हैं" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर को अंत:स्थापित किया जाएगा।

(iv) खंड (ख) के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

"परंतु धारा 10क की उप-धारा (2) के उपबंधों के अधीन शामिल खनन पट्टों के संबंध में नियम 2 के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट दर पर गणना की गई रकम का संदत 28 मार्च, 2021 से प्रवृत होगा।"

[फा. सं. 1/3/2021-एम. VI]

डॉ. वीणा कुमारी डरमल, संयुक्त सचिव

टिप्पण: खान और खनिज (जिला खनिज संस्थान में अभिदाय) नियम, 2015 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 715(अ) तारीख 17 सितंबर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2021

G.S.R. 437(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (5) and (6) of section 9B of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mines and Minerals (Contribution to District Mineral Foundation) Rules, 2015, namely:—

1. (1) These rules may be called the Mines and Minerals (Contribution to District Mineral Foundation) Amendment Rules, 2021.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 28th day of March, 2021.

2. In the Mines and Minerals (Contribution to District Mineral Foundation) Rules, 2015, (hereinafter, the principal rules), in rule 2,—

(i) for the words "prospecting licence-cum-mining lease", at both the places where they occur, the words "composite licence" shall be substituted;

(ii) in clause (a), after the figures, letters and word "12th January, 2015", the words, brackets, figures and letter ", other than those mineral concessions which are covered under the provisions of sub-section (2) of section 10A" shall be inserted;

(iii) in clause (b), after the figures, letters and word "12th January, 2015", the words, brackets, figures and letter "and those mining leases covered under the provisions of sub-section (2) of section 10A" shall be inserted.

(iv) after clause (b), the following proviso shall be inserted namely: —

"Provided that the amount calculated at the rate specified at clause (b) of rule 2 in respect of the mining leases covered under the provisions of sub-section (2) of section 10A shall be paid with effect from the 28th day of March, 2021."

[F. No. 1/3/2021-M.VI]

Dr. VEENA KUMARI DERMAL, Jt. Secy.

Note : The Mines and Minerals (Contribution to District Mineral Foundation) Rules, 2015 were published in Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 715(E), dated, the 17th September, 2015.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2021.06.25 22:25:18 +05'30'